न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारीः— बिन्दुबाला राजावत (आर.ए.एस) उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादड़ी

प्रकरण संख्या :—2/2022 जी.सी.एम.एरा.न.(2022/13) प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक :— 28.08.2023

श्री गंगाबाई पिता भंवरलाल पत्नि मुरलीधर कनेरिया दर्जी नि.तहसील नाथद्वारा

प्रार्थिया

।।बनाम।।

1.श्री गगन कुमार पिता सुरजमल जाति पोरवाल निवासी बडीसादडी
2.श्रीमती मीना कुमारी पत्नी श्यामलाल भण्डारी दर्जी निवासी रावला चौक भण्डारियों की गली बडीसादडी
3.श्री प्रकाश पिता श्यामलाल भण्डारी पत्नी दिनेश गहलोत दर्जी निवासी बडीसादडी
4.श्रीमती पिंकी पिता श्यामलाल भण्डारी पत्नी दिनेश गहलोत दर्जी निवासी बडीसादडी
5.श्रीमती भावना पिता श्यामलाल भण्डारी पत्नी चन्द्रप्रकाश दर्जी निवासी बडीसादडी
6.श्रीमती मधू पिता श्यामलाल पत्नी दिनेश पंवार दर्जी निवासी रावला चौक भण्डारियों की गली बडीसादडी
7.श्री तहसीलदार साहब, बडीसादडी

प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

निर्णय

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र मुल वाद के साथ अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत इस आश्य का प्रस्तुत किया कि यह खाता सं. 780 की आराजी नं. 2813/614 रकबा 0.0485 है लगानी 0.53 रूप्या, आराजी नं. 2814/614 रकबा 0.0300 है लगानी 0.34 रूप्या आराजी नं. 2829/614 रकबा 0.6115 हैं लगानी 6.73 रूपया कुल किता 3 कुल रकबा 0.6900 है लगानी 7.59 रूप्या वाके मौजा बडीसादडी में स्थित होकर प्रार्थीया एवं विपक्षी सं. 2 से 6 का पारीवारिक सजरा निम्नानुसार है। भंवरलाल के चार औलाद श्यामलाल (फौत) पुत्र, गंगाबाई पुत्री, जशोदा बाई पुत्री, मोहनीबाई (फौत) पत्नी, श्यामलाल (फौत) वारिसान प्रकाश पुत्र, पिंकी पुत्री चन्दा पुत्री, मधु पुत्री, मीनादेवी पत्नी, होकर वर्णित आराजी नं. के पूर्व नम्बर 614 होकर भंवरलाल जी का 1/16 हक हिस्सा एवं मोहनबाई का 1/16 हक हिस्सा दर्ज है। भंवरलाल जी की एंव मोहनबाई की मृत्यु हो चुकी है। जिसके वारीस उसके पुत्र श्यामलाल, गंगाबाई एवं जशोदा बाई है। श्यामलाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2023.09.02 11:40:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बड़ीसादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़

CamScanner

की भी मृत्यु हो चुकी है जिसके वारीस उसके पुत्र प्रकाश पुत्रियां पिंकी, चन्दा, मधू एवं पत्नी मीनादेवी है। भंवरलाल जी की मृत्यु के पश्चात जरीये विरासत उक्त आराजी प्रार्थीया गंगाबाई एंव जशोदा बाई के शामलाती 1/12 हिस्से अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गयी तथा 1/24 हिस्सा विपक्षी सं. 2 से 6 के नाम पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया। जशोदा बाई ने अपना हिस्सा जरीये रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र के हक कर दिया इसलिए वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीया का 1/12 हक हिस्सा निहित हो गया लेकिन विपक्षी सं. 1 से 6 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलाभगती कर प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड से हटा दिया जबकि प्रार्थीया का वादग्रस्त आराजीयात में 1/12 हिस्सा है इसलिए वादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थीया का 1/2 हिस्सा घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराया जावे शेष हिस्सा विपक्षी सं. 1 के रखाया जावे। वादग्रस्त सम्पत्ति का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है तथा प्रार्थीया अपने 1/12 हिस्से पर शांतिपूर्वक काबिज है इसलिए प्रार्थनापत्र की कलम सं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थीया का 1/12 हिस्सा अनुसार विभाजन कराया जावे तथा शेष हिस्सा विपक्षी सं. 1 के रखाया जावे व 1/12 हिस्सा प्रार्थीया का अलग खातेदारी में दर्ज कराया जावे। विपक्षी सं. 1 ने विपक्षी सं. 2 लगायत 6 से मिलाभगती कर राजस्व कर्मचारियों को अपने प्रभाव में करके प्रार्थीया का नाम हटाकर सम्पूर्ण आराजी विपक्षी सं. 1 ने अपने अकेले के नाम पर दर्ज करवा ली जबकि प्रार्थीया मृतक भंवरलाल एंव मोहनीबाई की हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार प्रथम श्रेणी की वारीस है। तथा प्रार्थीया का 1/12 हक हिस्सा बनता है तथा 1/12 हक हिस्से पर काबिज है लेकिन वर्तमान में आराजीयात विपक्षी सं.1 के नाम पर दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर विपक्षीगण वादग्रस्त आराजी को रहन, बय, बक्षीश कर हस्तांतरीत करने पर आमादा है तथा विपक्षी सें. 2 से 6 के साथ मिलाभगती कर प्रार्थीया को उसके हक हिस्से से बेदखल करने पर आमादा है इसलिए विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जावे कि वह वादग्रस्त आराजीयात को हरन, बय, बक्षीश कर हस्तांतरित नही करे न करावे तथा प्रार्थीया को अपने हक हिस्से की आराजीयात पर शांतिपूर्वक काबिज रहने देवे।प्रार्थीया का वादग्रस्त आराजी में 1/12 हक हिस्सा होकर मौके पर काबिज है जिससे प्रार्थीया की प्रथम दृष्टया केस प्रमाणित है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में है। यदि विपक्षीगण को जरीये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया गया तो वे प्रार्थीया के हक हिस्से की आराजीयात को हस्तांतरीत करने में सफल हो जावेंगे तथा प्रार्थीया को उसके हिस्से से बेदखल करने से सफल हो जावेंगे जिससे अपूर्णीय क्षति का हिद्धात भी प्रार्थीया के पक्ष में है इसलिए विपक्षीगण को जरीये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन है विपक्षीगण को जरीये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे प्रार्थीया के हक हिस्से व कब्जे काश्त की आराजीयात को रहन, बय, बक्षीश कर हस्तांतरीत नहीं करे न करावे तथा आराजीयात का विधिवत बंटवाडा नहीं हो जावे तब तक आराजीयात के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का हुक्म फरमाया जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2023.09.02 10:40:07 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
बड़ी सादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़

CamScanner

प्रार्थनापत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर हुक्मनामा से विपक्षीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से मूल वाद में एडवोकेट हसन खान ने व दिनांक 01.08.2023को अधिवक्ता सन्दीपकुमार छाजेड वकालतनामा पेश किया,अप्रार्थी संख्या 2,3,4,5, की ओर से अधिवक्ता श्री गजेन्द्रसिंह झाला ने वकालात नामा मूलवाद में पेश किया।अप्रार्थी संख्या 6 की ओर से अधिवक्ता अविनाश आमेटा ने वकालातनामा पेश किया व कोई जवाब नहीं देना चाहते है अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में शामिल फाईल किया गया।

बहस में वकील प्रार्थना पत्र ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को निवेदन किया कि प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण को मूलवाद के निस्तारण तक पांबद किया जावे की प्रार्थीया के हक हिस्से की व कब्जे की आराजीयात को रहन, बय, बक्षीश व हस्तांतरीत न करे न करावे आराजीयात का विधिवत बंटवाडा नहीं होवे तब तक आराजीयात के मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनायी रखी जाने का आदेश फरमावे।

विपक्षी कमांक 1 की ओर से लिखित बहस इस आशय की पेश कि कि प्रार्थनापत्र में वर्णित कृषि आराजीयात में स्वयं का 1/12 हिस्सा होना बताते हुए इस हिस्से को विपक्षी कमांक 1 से 6 द्वारा राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाये जाने के कथन करते हुए प्रस्तुत किया गया है। स्वीकृत रूप से प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि आराजीयात पूर्व में आराजी नंम्बर 614 रकबा 1.30 हैक्टर पुराने नम्बर 529 रकबा 6 बीघा जो बडीसादडी का भाग है आराजी नम्बर 614 में श्री भंवरलाल, मोहनबाई, श्यामलाल, श्रीमती मीनादेवी का 1/4 हक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज था। उक्त हिस्से को इन सभी खातेदारों द्वारा दिनांक 04.07.1992 को निष्पादित विक्रय अनुबंध के द्वारा विपक्षी कमांक 1 के पिता श्री सूरजमल जी पोरवाल को विक्रय कर दिया गया जिसका सपूंर्ण विक्रय मूल्य 1 लाख 50 हजार रूपया में उक्त सभी खातेदारों द्वारा विक्रय अनुबंध की दिनांक से पूर्व में प्राप्त कर लिया गया सभी खातेदारों द्वारा उनके उक्त 1/4 हिस्से का आधिपत्य भी पूर्व में स्वर्गीय श्री सूरजमल जी को प्रदत कर दिया गया। उक्त अनुबंध की अनुपालना में विक्रय विलय कर उसका पंजीयन नहीं कराये जाने के कारण इस संबंध में विपक्षी कमांक 1 एवं अन्य संबधित द्वारा 1 वाद माननीया वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश महोदया बडीसादडी के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसके प्रकरण संख्या 2/2016 गगन बनाम मीना कुमारी है उक्त वाद को माननीया न्यायालय द्वारा दिनांक 30.05.2019 को अन्तिम रूप से निस्तारित करते हुए 1/4 हक हिस्से को विपक्षी कमांक 1 के नाम दर्ज करने एवं अन्य आदेश पारित किया गये जिसकी अनुपालनाम में 1/4 हिस्सा विपक्षी एक के नाम दर्ज हुआ इन परिस्थितियों यह पूर्णतया स्पष्ट है कि विपक्षी कमांक 1 के नाम पर प्रश्नगत आराजीयात न्यायिक प्रकिया से दर्ज हुए जिससे यह प्रार्थीया का यह कथन की विपक्षी कमांक 1 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर कृषि आराजीयात को अपने नाम में असत्य हो जाता है ऐसी स्थिति में एक ही संपति के दो समान प्रकृति के प्रार्थना पत्र अलग-अलग न्यायालय में प्रथम दृष्टया पोषणीय नहीं है। चूंकि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पश्चात् [illegible] है जिससे धारा 10 सीपीसी के

Signature Not Verified

Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2023.09.02 11:40:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बड़ीसादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़

प्रावधानों अनुसार यह पश्चातवृति प्रार्थनापत्र पोषणीय नहीं है विपक्षी द्वारा न्यायिक प्रकिया से आराजी को अपने नाम किया है इसलिए माननीय न्यायालय को प्रार्थना पत्र की सुनवाई का अधिकार ही नहीं रहा ऐसी स्थिति में प्रश्नगत आराजीयात के आबादी भूमि में परिवर्तित हो जाने से आबादी भूमि में अन्य व्यक्तियों का हक अधिकार उत्पन्न हो जाने से उन्हें सूने बगर प्रकरण आगामी आदेश पारित किया जाना सर्वादा अनुचित होगा। प्रार्थनपत्र की सहायता में चरण संख्या में उसके द्वारा कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया कि किस आराजी पर स्थगन चाहती है जिससे भी प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है अतः निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।बहस पर मनन किया वादग्रस्त आराजी वाद प्रस्तुती के समय कृषि आराजी के रूप में दर्ज थी।प्रार्थीया भंवरलाल जी की जायंदा पुत्री है जिसके नाम पर विरासत का नामान्तरण स्वीकृत किया गया। जिसमें वादग्रस्त आराजी नाम पर हई विपक्षी नं. 1.गगन ने सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जिसमे प्रार्थीया पक्षकार नहीं रही हैं खातेदारी घोषणा का वाद का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त है। इसलिए प्रार्थीया का प्रथम दृष्टया केस प्रमाणित है सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में है दोराने वाद विपक्षी ने आराजी को आबादी में परिवर्तित करवा दी व मौके पर प्लानिंग कर भूखण्ड हस्तानातरित करना चाहता है जिससे प्रार्थीया हक हिस्से वंचित हो जायेगी उक्त सभी तथ्य मुल वाद में तय होने है। इसलिए अपूरणीय क्षति का सिद्धात भी प्रार्थीया के पक्ष में है। तीनों ही बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष में होने से प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण को मूलवाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबद किया जाना उचित प्रतित होता है।

अतः प्रार्थनापत्र 212 आर.टी.एक्ट का स्वीकार किया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक मौजा बडीसादडी की आराजी नम्बर 2813/614, 2814/614, 2828/614 कुल किता 3 रकबा 0.6900 हैक्टर भूमि में विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जाता है कि वादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थीया के हक हिस्से व कब्जे का आराजीयात को रहन, बय, बक्षीश न करा ले करावे, आराजीयात का विधिवत बंटवाडा न हो तब तक राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाई रखी जावे।

निर्णय सुरे इजलास लिखाया जाकर दिनांक 28.08.2023 सुनाया गया।

(बिन्दुबाला राजावत) RAS
उपखण्ड अधिकारी
बडीसादडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2023.09.02 11:40:07 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner